

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

क्रमांक प. 3(8)प्रसु/टाइम्स/2013

जयपुर, दिनांक: 4 सितम्बर, 2015

—: आदेश :—

विषय:— जन सुनवाई आयोजित करने के संबंध में स्पष्टीकरण।

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18.08.2015 द्वारा विभिन्न स्तर पर गुरुवार एवं शुक्रवार को आयोजित होने वाली जन सुनवाई के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि 'यदि निर्धारित जन सुनवाई दिवस को राजकीय अवकाश हो तो यह जन सुनवाई उससे पहले वाले कार्य दिवस को आयोजित की जायेगी'। उदाहरणार्थ यदि 25 तारीख को शुक्रवार का अवकाश हो तो 24 तारीख गुरुवार को जन सुनवाई आयोजित की जावेगी।

शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।




(राकेश वर्मा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव/सचिव (द्वितीय)/विशिष्ट सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव समस्त माननीय मंत्रीगण/माननीय राज्यमंत्रीगण।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिवगण।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
5. आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर
6. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद/राजकीय उपक्रम/निगम/मंडल।
9. श्री अरुण चौहान, संयुक्त निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर अपलोड करावें।
10. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम्प, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश प्रशासनिक सुधार विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
11. रक्षित पत्रावली।



(बन्ना लाल)

निदेशक, पब्लिक सर्विसेज